न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/08/2021	19–01–2021	01–03–2020

1–राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल जाति महाजन निवासी शाहजापुर तहसील नीमराना , जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमती सरबतीदेवी पत्नि स्व0 प्यारेलाल
2–विनोद पुत्र स्व0 प्यारेलाल
3–राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व प्यारेलाल जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराना
4–सावत्री पुत्री स्व प्यारेलाल जाति जाट निवासी फौलादपुर तह0नीमराना हाल पत्नि हंसराज जाति जाट निवासी ग्राम रामसिहपुरा तह0 मुण्डावर
5–लक्ष्मी पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति जाट निवासी फौलादपुर तह0नीमराना हाल पत्नि रिसालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तह0 मुण्डावर
6–श्रीमती कैला देवी पत्नि स्व0 रामकुमवार पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराना
7–प्रिंयका पुत्री श्रीमति कैलादेवी पत्नि स्व0 रामकुवार पौत्री स्व0 प्यारेलाल जाति जाट निवासी फौलादपुर हाल पत्नि रणजीत पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर
8–सरला देवी पुत्री श्रीमति कैलादेवी पत्नि स्व0 रामकुमवार पौत्री स्व0 प्यारेलाल जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर हाल पत्नि नरेश पुत्र मुन्शी जाति जाट निवासी ग्राम रामसिंह पुरा तहसील मुण्डावर
9–दुलीचन्द पुत्र हेतराम
10–उम्मेद सिंह पुत्र रोशनलाल
11–सुशीला देवी पुत्री स्व0 डालीदेवी पत्नि रोशनलाल
12–भगवानी देवी पत्नि अमरसिंह
13–श्रीराम पुत्र चौखराम
14–सुनिता पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना
15–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना
16–राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्र अलवर
17–श्रीमती कैलादेवी पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तहसील नीमराना

––––––––––––असल अप्रार्थीगण

18–भगवती देवी पत्नि मांगेलाल
19–श्रीराम गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल
20–औमप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल
21–बिशनलाल गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल
22–ललित प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल
23–राजेश गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल
24–रमेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 मांगेलाल जाति महाजन निवासी शाहजहांपुर तहसील नीमराना
25–सीमा गुप्ता पुत्री स्व0 मांगेलाल हाल पत्नि राकेश कुमार निवासी स्कीम नं0 3 मकान नं0 180 अलवर
26–मधु गुप्ता पुत्री स्व0 मांगेलाल हाल पत्नि महेश चन्द निवासी नई अनाल मण्डी रेवाडी हरियाणा
27–बेदन लाल पुत्र सूरजभान जाति महाजन निवासी ग्राम शाहजहांपुर तह0 नीमराना जिला अलवर।

––––––––––––तर0अप्रार्थी

जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री ब्रहम प्रकाश यादव —वकील प्रार्थी
02. श्री संजय यादव —वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी मांगेलाल बनाम प्यारे लाल को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा में बअनुवानी मांगेलाल बनाम प्यारे लाल राजस्व वाद इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज विचाराधीन है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर मनमाने तौर पर सुनवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर जल्दी–जल्दी की तारीख नियम कर मुकदमें व जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। विगत पेशीयों पर असल अप्रार्थी को प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में जाकर बातचीत करते देखा और शाम को असल अप्रार्थी से गांव में ऐलानियां कहा कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है। अप्रार्थी काफी असरदार व रजनैतिक व्यक्ति है। अप्रार्थी की तरफ से अब यह पूरा अन्देशा हो गया है कि वो पीठासीन अधिकारी से मिल कर उक्त मुकदमें को खत्म करवा देगें। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय करेगें, पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण को बेजा लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। बअनुवानी प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैरा को खारिज कराने की कौशिश में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी मांगेलाल बनाम प्यारे लाल में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर रहें है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के गलत तथ्य दर्ज करते हुऐ पेश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

हमनें प्रार्थी के वकील की वहस सुनी तथा पत्रावली एवं तहत अदालत की टिप्पणी का अवलोकन किया। तहत अदालत टिप्पणी में प्रार्थना पत्र के विन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तथा आरोपों के खण्डन में कोई प्रमाणित साक्ष्य/सवूत भी पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी मांगेलाल बनाम प्यारे लाल को उप खण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी नीमराना तत्काल उक्त प्रकरण बअनुवानी मांगेलाल बनाम प्यारे लाल की पत्रावली उप खण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर